न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)

दावा संख्या :- 09 / 2019

दायर दिनांक :- 22.03.2019

निर्णय दिनांक :- 26-7-21

<u>उनवान</u>

1. प्रभु पुत्र मांग्या जाति मीणा निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

(वादी)

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
2. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक

(प्रतिवादीगण)

<u>उपस्थिति</u> :- श्री राजकुमार तिवाड़ी अधिवक्ता वादी

वाद पत्र बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

उक्त प्रकरण मे संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है की वादी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा का रहने वाला है तथा प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार का वैध प्रतिनिधि है। प्रतिवादी 2 राहीन बैंक है। हाल खसरा नम्बर 319 रकबा 0.62 है0 खसरा नम्बर 838 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 839 रकबा 0.16 है0 खसरा नम्बर [illegible] 0.07 है0 खसरा नम्बर 930 रकबा 0.22 है0 खसरा नम्बर 904 रकबा [illegible] है0 खसरा नम्बर 991 रकबा 0.33 है0 खसरा नम्बर [illegible] है0 खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:37:01 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति प्रमाणित

उप जिला कलेक्टर, दौसा

उपखण्ड अधिकारी, दौसा

रकबा 0.25 है0 खसरा नम्बर 1025 रकबा 0.56 है0 खसरा नम्बर 1118रकबा 0.12 है0 खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.10 है0 खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.45 है0 खसरा नम्बर 1223 रकबा 0.62 है0 खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.38 है0 खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.40 है0 खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.08 है0 खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.82 है0 खसरा नम्बर 1607 रकबा 0.35 है0 खसरा नम्बर 1709 रकबा 1.01 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 10.36 है0 वाके ग्राम महेश्वरा खुर्द में स्थित है जिसकी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी वादी के नाम दर्ज है।

उपरोक्त हाल खसरा नम्बर 1709 रकबा 1.01 है0 का साबिक खसरा नम्बर 833 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा थे जिसकी खातेदारी साबिक राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी, जिसका मिलान क्षेत्रफल नक्शा ट्रेस जमाबन्दी सेटलमेन्ट विभाग वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। सैटलमैन्ट विभाग को वादी की कब्जे शुद्धा भूमि साबिक खसरा नम्बर 833 के अनुसार ही वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा शीट बनानी चाहिये थी परन्तु सैटलमैन्ट विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा वादी की साबिक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 833 का साबिक नक्शा ट्रेस से हाल नक्शा ट्रेस बनाये जाने में हाल नक्शे का स्वरूप बदलकर वादी के समीप चरागाह खसरा नम्बर 1662 में गलत दर्ज कर दिया। सैटलमैन्ट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वादी के साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार ही हाल नक्शा ट्रेस बनाना चाहिए था। सैटलमैन्ट विभाग के द्वारा साबिक जमाबन्दी से हाल जमाबन्दी बनाये जाने में कोई गलती नही की तथा हाल व साबिक जमाबन्दी में वादी का रकबा यथावत रखा गया परन्तु साबिक नक्शा शीट से हाल नक्शा शीट का मिलान करने पर यह स्पष्ट होता है की हाल नक्शा शीट सा[illegible]ा शीट छोटी बना दी गई तथा हाल जमाबन्दी अनुसार हाल नक्शा [illegible] के अनुसार भूमि की पेमाईश की जाती है तो हाल नक्शा शीट में हाल खसरा नम्बर 1709 रकबा 1.01 है0 भूमि पूर्ण नहीं होती है जिससे वादी की खातेदारी कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:37:01 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
उप जिला कलेक्टर, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा

काश्त की भूमि का नक्शा सैटलमैन्ट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने साबिक नक्शा शीट के मुकाबले छोटा कर दिया जिसका उनको कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था।

वाद पत्र बहक वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध डिग्री उदघोषणा इस कदर का डिग्री फरमाया जावे कि ग्राम महेश्वरा खुर्द में स्थित भूमि वादी की काब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 1709 रकबा 1.01 है0 को हाल नक्शा शीट साबिक खसरा नम्बर 833 की नक्शा शीट अनुसार दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

वादी के द्वारा उक्त वाद न्यायालय में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण कि जरिये नोटिस के तलबी कि गई अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामिल के अदालत में उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार के द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसके अनुसार जमाबंदी में वादी की भूमि का रकबा 1.01 है0 है, नक्शे में रकबा बरारी करने पर 0.84 है0 है, तथा साबिक खंसरा नम्बर 833 का रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा था। साविक नक्शा साबिक जमाबंदी अनुसार सही है। वर्तमान में वादी का कब्जा भी पुराना नक्शा के अनुसार होना बतलाया गया है। साबिक रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कि मैट्रिक प्रणाली में गणना करने पर 0. 95 है0 भूमि वर्तमान नक्शे में रकबा बरारी करने पर होनी चाहिऐ परन्तु पैरोकार सरकार से प्राप्त जवाब में वादी कि भूमि वर्तमान नक्शें में रकबा बरारी करने पर 0.84 है0 भूमि बतलायी गई है, जो 0.11 है0 भूमि नक्शें में कम कर दी गई है। साबिक नक्शा एवं हाल नक्शा का मिलान करने पर हाल नक्शें का क्षेत्रफल छोटा होना पाया जाता है।

उभयपक्षों वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। साबिक नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:37:01 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
उप जिला कलेक्टर, दौसा

उप खण्ड अधिकारी,
दौसा

उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम महेश्वरा खुर्द के साबिक खसरा नम्बर 833 के अनुसार वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती की जावे। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
उप जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:37:01 IST
Reason: SelfAttested